MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2018

S.O. 936(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Harding Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi(Group "C" posts) Recruitment Rules,1981, the Lady Harding Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi(Senior Tutor/Senior Public Health Tutor) Recruitment Rules,1996 and the Lady Harding Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi(Principal Tutor) Group 'A' Recruitment Rules,1997; in so far as they relate to the posts of Sister Tutor/Nursing Instructor, Senior Public Health Tutor and Principal Tutor except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Tutor in the Lady Harding Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:-

1. **Short title and commencement.-**

   (1) These Rules may be called the College of Nursing, Lady Harding Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Tutor) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .–** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tutor	22* (Twenty two) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Not Applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method [illegible] whether [illegible] recruitment [illegible] promotion [illegible] deputation/absorp[illegible] and percentage of [illegible] vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 35 years Note- 1: Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note- 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (A)(I)Masters Degree in Nursing from a recognized university or Institute. Or (II)B. Sc Nursing or Post Basic BSc Nursing with one year experience in a Nursing college recognised by Indian Nursing Council. (B) Registered as Nurse and Midwife with Central or State Nursing Council Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note: 2 The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that	Not applicable	One year Note: The period of one year shall include successful completion of mandatory, induction training of two weeks duration.	Direct Recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government A. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. and B. possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column(7). (The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

	sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group A Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Joint Secretary (Administratively concerned with Nursing Division) or Joint Secretary (Administratively concerned with Hospital), Ministry of Health and Family Welfare – Chairman. (ii) Medical Superintendent of the Lady Harding Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital – Member. (iii) Nursing Adviser or Assistant Director General (Nursing), Ministry of Health & Family Welfare-Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A. 11013 /01/2010-N-B]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Asstt. Dir. Gen. (Nursing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.01 11:59:52 +05'30'

No. A.11013/1/2010-N
Ministry of Health & Family Welfare
Nursing Section
****

Room No. 747-A, Nirman Bhawan,
Dated the 2nd November 2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Notification of the RRs for the post of Tutor of the Colleges of Nursing under three Central Govt. Hospitals in Delhi i.e. Dr. RML Hospital, LHMC & SK Hospital and Safdarjung Hospital – reg.

***

Please find enclosed herewith a copy of the notified Recruitment Rules for the post of Tutor of the Colleges of Nursing under Central Government Hospitals for information and necessary action at your end.

(D.N.K. Kutumba Rao)
Section Officer (Nursing)

Encl: as above

To

1. Deputy Director (Admn.) Safdarjung Hospital, New Delhi
2. Deputy Director(Admn.), Dr. RML Hospital, New Delhi
3. Deputy Director(Admn.), LHMC, New Delhi
4. Deputy Director(Admn.), SKCH, New Delhi
5. Hospital –I Section, MoHFW, New Delhi
6. MH-I Section, Dte. GHS, MoHFW, New Delhi
7. ME Section, Dte. GHS, MoHFW, New Delhi
8. NIC Cell .MoHFW with the request to upload the same on the Nursing Section's portal
9. Guard File.

डाक / DAK
निदेशक का कार्यालय / OFFICE OF THE DIRECTOR
06 NOV 2018

06 NOV 2018

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940
No. 690] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

का.आ. 936(अ)— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1981, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ ट्यूटर/ज्येष्ठ लोक स्वास्थ्य ट्यूटर) भर्ती नियम, 1996 तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (प्रधान ट्यूटर) समूह 'क' भर्ती नियम, 1997 को जहां तक उनका संबंध सिस्टर ट्यूटर/नर्सिंग अनुदेशक, ज्येष्ठ लोक स्वास्थ्य ट्यूटर और प्रधान ट्यूटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में ट्यूटर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नर्सिंग कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ट्यूटर) भर्ती नियम,2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण [और वेतन] मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन का अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ट्यूटर	22* (बाईस) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रू.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण: 1 केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा	आवश्यक: (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में मास्टर डिग्री। या (II) भारतीय नर्सिंग या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नर्सिंग कॉलेज में बी. बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक

					सकती है। टिप्पण: 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	बी.एस.सी. नर्सिंग सहित एक वर्ष का अनुभव। (ख) केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। टिप्पण: 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा यह प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष। टिप्पण: एक वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताहों की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण की सफलतापूर्णता सम्मिलित होगी।	सीधी भर्ती। टिप्पण:- पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए

		बाहर रहने के कारण ... सरकार के ऐसे अधिकारियों ... के आधार पर भर्ती जा सकेगी:- (क) जो मूल कैडर या ... नियमित आधार पर ... पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13).
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- I. संयुक्त सचिव (नर्सिंग प्रभाग से प्रशासनिक रूप से संबद्ध) या संयुक्त सचिव (अस्पताल से प्रशासनिक रूप से संबद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- अध्यक्ष; II. चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य; III. नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए -11013/01/2010-एन - बी]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

No. A.11013/1/2010-N
Ministry of Health & Family Welfare
Nursing Section
****

Room No. 747-A, Nirman Bhawan,
Dated the 2nd November 2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Notification of the RRs for the post of Tutor of the Colleges of Nursing under three Central Govt. Hospitals in Delhi i.e. Dr. RML Hospital, LHMC & SK Hospital and Safdarjung Hospital – reg.

***

Please find enclosed herewith a copy of the notified Recruitment Rules for the post of Tutor of the Colleges of Nursing under Central Government Hospitals for information and necessary action at your end.

(D.N.K. Kutumba Rao)
Section Officer (Nursing)

Encl: as above

To

1. Deputy Director (Admn.) Safdarjung Hospital, New Delhi
2. Deputy Director(Admn.), Dr. RML Hospital, New Delhi
3. Deputy Director(Admn.), LHMC, New Delhi
4. Deputy Director(Admn.), SKCH, New Delhi
5. Hospital –I Section, MoHFW, New Delhi
6. MH-I Section, Dte. GHS, MoHFW, New Delhi
7. ME Section, Dte. GHS, MoHFW, New Delhi
8. NIC Cell .MoHFW with the request to upload the same on the Nursing Section's portal
9. Guard File.

डाक / DAK
OFFICE OF THE DIRECTOR
06 NOV 2018

06 NOV 2018

रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

No. 690] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

का.आ. 936(अ)— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1981, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ ट्यूटर/ज्येष्ठ लोक स्वास्थ्य ट्यूटर) भर्ती नियम, 1996 तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (प्रधान ट्यूटर) समूह 'क' भर्ती नियम, 1997 को जहां तक उनका संबंध सिस्टर ट्यूटर/नर्सिंग अनुदेशक, ज्येष्ठ लोक स्वास्थ्य ट्यूटर और प्रधान ट्यूटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में ट्यूटर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नर्सिंग कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ट्यूटर) भर्ती नियम,2018 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण [और वेतन] मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करता अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन का अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ट्यूटर	22* (बाईस) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रू.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण: 1 केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा	आवश्यक: (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में मास्टर डिग्री। या (II) भारतीय नर्सिंग या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नर्सिंग कॉलेज में बी. बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक

					सकती है। टिप्पण: 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	बी.एस.सी. नर्सिंग सहित एक वर्ष का अनुभव। (ख) केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। टिप्पण: 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष। टिप्पण: एक वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताहों की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण की सफलतापूर्णता सम्मिलित होगी।	सीधी भर्ती। टिप्पण:- पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए

		... रहने के कारण ... सरकार के ऐसे अधिकारियों ... के आधार पर भर्ती जा सकेगी:- (क) जो मूल कैडर या ... नियमित आधार पर पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13).
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- I. संयुक्त सचिव (नर्सिंग प्रभाग से प्रशासनिक रूप से संबद्ध) या संयुक्त सचिव (अस्पताल से प्रशासनिक रूप से संबद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- अध्यक्ष; II. चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य; III. नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए -11013/01/2010-एन - बी]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)